अध्यापकों की समान और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में भूमिका

प्रिया शर्मा*
अंकिता**

समावेशी शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में लागू करना तथा नए प्रयासों द्वारा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च स्तर तक ले जाने में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं सब पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार द्वारा विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु कई नीतियाँ एवं नियम लागू किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं— शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा योजना आदि। इन नीतियों एवं नियमों पर अध्यापकों द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इन नियमों तथा योजनाओं द्वारा हम 74 प्रतिशत साक्षरता को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु आज भी विद्यालय में अध्यापकों के सामने कई समस्याएँ आती हैं, जैसे— भेदभाव, दिव्यांगता, जाति, भाषा एवं निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर आदि। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस लेख द्वारा अध्यापकों के लिए कुछ मुख्य सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इस लेख में 'समान और समावेशी शिक्षा' हेतु अध्यापकों की भूमिका के बिषय में चर्चा प्रस्तुत की गई है।

समावेशी शिक्षा, कक्षा में विविधताओं को स्वीकारना है, जिसके अंतर्गत समतामूलक शिक्षा के साथ सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाता है, ताकि वे भी समाज के मानवीय एवं उपयोगी नागरिक बन सकें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य समस्त बच्चों, बड़ों और समुदाय के लोगों द्वारा आपस में किसी कार्य के लिए भागीदारी बढ़ाने, भेदभाव मिटाने, किसी सामाजिक-आर्थिक आधार पर होने वाली उपेक्षाओं को कम करने तथा विद्यार्थियों के सीखने में होने वाली बाधाओं को दूर करने से है। समावेशन, बच्चों व बड़ों में अंतर नहीं करता, अपितु उन्हें सीखने व सिखाने की प्रक्रिया को संसाधन के रूप में देखता है, यह विद्यार्थियों में विविधता, उनकी पृष्ठभूमि, अनुभव, आकांक्षाओं, रुचि, ज्ञान और कौशलों के प्रति विद्यालय को संवेदनशील बनाता है। (अनुच्छेद 1.7 डी.ई.जी.एस.एन. 2023) समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता

**कनिष्ठ परियोजना सहायक,* अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 110016
***कनिष्ठ परियोजना सहायक,* अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 110016

को बाल-केंद्रित विधियों द्वारा विकसित करना है। समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों तक विद्यालयी शिक्षा की पहुँच हो तथा वे बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिए भारत सरकार द्वारा सभी बच्चों की विद्यालयों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2018–19 से समग्र शिक्षा योजना लागू की गई है। यह योजना विद्यालयी शिक्षा को एक निरंतरता प्रदान करती है और यह सतत विकास लक्ष्य (सतत विकास लक्ष्य-4) के अनुसार है। यह योजना न केवल शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ता प्रदान करती है, बल्कि यह *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* से संरेखित है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी बच्चों की एकसमान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो तथा उनकी विविध पृष्ठभूमि एवं बहुभाषी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनकी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जाए।

शिक्षा में समावेशन का अर्थ है कि सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ, एक ही विद्यालय में एकसमान रूप से हो। कक्षा में प्रत्येक बच्चा बहुत विशिष्ट ढंग से सीखता है। अत: अध्यापक का कार्य भी विशिष्ट होना चाहिए। कक्षा एक छोटा-सा समाज है, जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे— प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत, दिव्यांग, पिछड़े, वंचित आदि। यदि हम शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ही दृष्टिकोण को अपनाएँ तो कक्षा का एक बड़ा भाग शिक्षा से वंचित रह जाता है और बाद में पिछड़ जाता है, इसलिए समावेशन के प्रारूप को न केवल एक कक्षा विशेष के अध्यापक द्वारा अपितु पूरे विद्यालय द्वारा अपनाया जाना चाहिए, जिससे अधिगम-शिक्षण प्रक्रिया प्रत्येक बच्चे के लिए सार्थक एवं प्रासंगिक बन सके और सभी बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके।

समावेशी शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योग्य, सक्षम एवं आदर्श अध्यापकों की आवश्यकता होती है, जो एक ही कक्षा में सभी तरह के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था में जब वंचित वर्ग का विद्यार्थी अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है।

समावेशी शिक्षा, विद्यालयी गतिविधियों के साथ-साथ बच्चों के व्यवहार, भावात्मक व सामाजिक कौशलों को विकसित करने में भी सहायता प्रदान करती है। समावेशी कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर संबोधन और व्यवहार करना पड़ता है। एक अध्यापक को बिना किसी व्यक्तिगत हित के सभी विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं एवं कौशलों को विकसित कर सकें और वे परिवार, समाज व देश के लिए जिम्मेदार नागरिक बन सकें। यह उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिन्हें कक्षा में विभिन्न प्रकार की विशेष आवश्यकताएँ हों, इस प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, समाज में समानता लाना और समावेशन को बढ़ावा देना है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से, हम समाज में विविधता को स्वीकार

करते हुए सहभागिता बढ़ाते हैं और सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं।

समावेशी शिक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विद्यालयी शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थी एवं सामान्य विद्यार्थी के मध्य स्वस्थ, सामाजिक, भावनात्मक और परस्पर संबंध बनाने में सहायक होती है। समावेशी शिक्षा को शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, ये सभी प्रयास प्रमुख भारतीय नीतिगत दस्तावेज़ों में प्रतिबिंबित हैं, जैसे— विद्यार्थियों को कक्षा में सभी गतिविधियों में सहभागिता का अवसर प्रदान करना, बच्चे पर केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने एवं सीखने की प्रक्रिया अपनाना, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों और विविधता को समझना, असमानताओं को दूर करने पर अधिक बल देना आदि। इससे समाज में सभी अध्यापकों को अवसरों के प्रोत्साहन की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, जैसे— हम समग्र शिक्षा योजना की बात करें तो इस योजना का लक्ष्य प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक, दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले 'दिव्यांग जन अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016' की दिव्यांगता की अनुसूची में उल्लिखित एक या अधिक विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है।

समान और समावेशी शिक्षा— *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*

'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016' समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है, जहाँ सामान्य व दिव्यांग, सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, अनुच्छेद 6.11)।

भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में जेंडर और सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है, किन्तु असमानता आज भी देखी जा सकती है, विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, हम सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से ही पिछड़े रहे हैं। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित सोशियो-इकॉनोमिकली डिसएडवान्टेज्ड ग्रुप (एस.ई.डी.जी.) इन समूहों को जेंडर (विशेष रूप से महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति) सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (जैसे— अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी., भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक), भौगोलिक पहचान (जैसे— गाँव, कस्बे व आकांक्षी जिले के विद्यार्थी), विशेष आवश्यकता (सीखने से

संबंधित अक्षमता सहित) और सामाजिक-आर्थिक स्थिति (जैसे— प्रवासी समुदाय, कम आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे एवं परिवार) सम्मिलित हैं। इन्हीं असमानताओं को दूर करने के प्रयासों पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में बल दिया गया है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* अनुच्छेद 6.2)। इन असमानताओं को दूर करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा समग्र शिक्षा योजना एवं अन्य समकक्ष योजनाओं को विद्यालयी शिक्षा में क्रियान्वित किया जा रहा है।

समावेशी शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना

इस योजना में समानता और समावेशिता को प्रमुखता प्रदान की गई है, विशेष रूप से सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूह (एस.ई.डी.जी.एस.) के बच्चों के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग आदि बच्चे आते हैं। यह *योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के दृष्टिकोण को परिभाषित करती है, जिससे पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सशक्त आधार प्रदान किया जा सके।

समग्र शिक्षा के अनुसार समान और समावेशी शिक्षा के सिद्धांत

शिक्षा के समग्र सिद्धांत का तात्पर्य शिक्षण और सीखने के लिए न्यायसंगत और समावेशी दृष्टिकोण प्रदान करना है। समानता के सिद्धांत का तात्पर्य सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। अर्थात सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। अभिगम्यता सिद्धांत का तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को निर्दिष्ट दूरी के विद्यालयों में समान रूप से एक अनुकूल शिक्षण वातावरण प्राप्त हो।

अध्यापकों को सशक्त बनाने के सिद्धांत का अर्थ है कि अध्यापकों को कक्षा में कुछ नया करने और सीखने की संस्कृति का विकास करने हेतु प्रेरित करना। साथ ही, उन्हें नई शिक्षा पद्धतियों और दृष्टिकोणों से अवगत कराना ताकि वे सीखने के प्रतिफलों में सुधार करने के लिए अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को सबसे प्रभावशाली तरीके से पढ़ा सकें। अध्यापकों को सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए तथा उसे अपने व्यवहारों में लाते हुए विद्यार्थियों के समक्ष प्रदर्शित करना चाहिए, जो किसी भी विद्यार्थी के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

अध्यापक विद्यालयी शिक्षा में समावेशी शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं?

शिक्षा मानव समाज के विकास का मूल आधार होती है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर समान अवसर प्रदान करना ही, अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी संदर्भ में समावेशी शिक्षा

को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं जो इस प्रकार हैं—

1. **समर्थ अध्यापक**— कक्षा में विद्यार्थी की विशेष आवश्यकता को समझना एवं उन्हें पूर्ण करने में अपना योगदान देना ही एक समर्थ अध्यापक की पहचान है। अध्यापक को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कौशल और रुचि को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह सभी को बराबर समय दे सके व देखरेख कर सके। विद्यार्थियों को कक्षा में बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे— बोर्ड से देखकर न लिख पाना, पाठ को न पढ़ पाना, लिखने में कठिनाई होना, सुनाई न देना, कोई कठिन विषय-वस्तु समझ न पाना आदि। इसलिए अध्यापक को विद्यार्थियों की सहायता करनी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं व मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना, पाठ को एक से अधिक बार दोहराना, विद्यार्थियों की लिखने में सहायता करना और उनके साथ चर्चा करके उनकी समस्याओं का समाधान करना आदि।
2. **विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण-अधिगम**— शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय भागीदारी के रूप में देखना चाहिए न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में तथा ज्ञान को पूर्व निर्धारित न मानकर स्व-अनुभवों से निर्मित मानकर प्रदान किया जाना चाहिए (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*, पृष्ठ 5.2.3)।
3. **रुचि की विविधता**—सभी विद्यार्थियों की रुचि एकसमान नहीं होती। सभी विद्यार्थी एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, परंतु उनमें से कुछ विद्यार्थी पढ़ने में अधिक रुचि रखते हैं तो कुछ विद्यार्थियों की रुचि खेल में अधिक होती है, इस प्रकार एक ही कक्षा में रुचि के आधार पर विविधता देखने को मिलती है। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों की रुचि की विविधता को स्वीकार कर कक्षा में सभी को एकसमान समझे। अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी को भावनात्मक, सामाजिक, ज्ञानात्मक व शारीरिक कौशलों को विकसित करने के लिए रुचि के आधार पर समान अवसर प्रदान करे, ताकि वे अपनी पसंद के विषय या क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
4. **सहयोगी सामग्री**— अध्यापक को कक्षा में रचनावादी विधियों का प्रयोग कर शिक्षण-अधिगम को प्रभावी बनाना चाहिए। कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को कार्य करने व सीखने में कठिनाई न हो, जैसे— पाठ को पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों के साथ पाठ के विषय में चर्चा करना, पाठ से संबंधित गतिविधियों का आयोजन, डिजिटल संसाधनों से पाठ को सरल व पठनीय बनाना आदि। उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में सभी प्रकार की अधिगम सामग्री उपलब्ध हो ताकि विद्यार्थी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में उचित रूप से सहभागिता कर स्वयं या साथियों के साथ मिलकर अध्ययन कर सीख सकें।

5. **विद्यार्थियों के माता-पिता और परिवार के साथ सहयोग**— माता-पिता एवं अध्यापक विद्यार्थियों के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। माता-पिता एवं अध्यापक आपसी सहयोग से विद्यार्थियों की निजी आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना बनाकर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दे सकते हैं, ताकि उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके।
6. **सामाजिक दायित्व और जागरूकता**— समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत-सी ऐसी संस्थाएँ, जैसे— अमर ज्योति ट्रस्ट दिल्ली, सत्याशक्ति फाउंडेशन, आस्था फाउंडेशन आदि सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएँ विद्यार्थियों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं एवं कौशलों के आधार पर प्रशिक्षित करती हैं तथा उन्हें आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करती हैं।

समावेशी शिक्षा में अध्यापकों की चुनौतियाँ

शिक्षा को समावेशी बनाने में अध्यापक एवं विद्यार्थियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिनमें से कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैं—

1. **संसाधनों की कमी**— सफलतापूर्वक समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए उचित संसाधनों की आवश्यकता होती है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उपकरण, सामग्री और सुविधाएँ उपलब्ध कराने में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं, जो अध्यापकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है, जैसे— विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध न होना, दिव्यांग विद्यार्थियों के आवागमन के लिए रेम्प की सुविधा न होना, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में डिजिटल अधिगम सामग्री की सुविधा न होना आदि।
2. **सामाजिक मान्यता और भेदभाव**— समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक रूढ़िबद्ध मान्यताओं और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है। अध्यापकों को विद्यार्थियों के बीच भेदभाव न करके, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा में समावेशन, विद्यालयों और उनके आस-पास के समुदायों के बीच आपसी सामाजिक संबंधों को विकसित करता है।
3. **आर्थिक समस्याएँ**— समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए कई बार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे—विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए उपयुक्त सामग्री एवं सुविधाएँ तथा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है, जो कई बार आर्थिक असमर्थता के कारण बाधित होती है।
4. **शिक्षण पूर्व पाठ योजना**— अध्यापकों को कक्षा में जाने से पूर्व स्वयं चिंतन-मनन कर पाठ योजना बनानी चाहिए तत्पश्चात कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में निरंतर प्रश्नोत्तर करते रहना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का समाधान किया जा सके।

5. **डिजिटल प्रौद्योगिकी**— डिजिटल उपकरणों एवं उनके प्रशिक्षण की कमी के कारण अध्यापकों को डिजिटल उपकरणों में शिक्षण-अधिगम सामग्री की जानकारी नहीं होती है। इस कारण वे विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए इनका उचित रूप से प्रयोग नहीं कर पाते और विद्यार्थियों को डिजिटल प्रौद्योगिकी की पूरी जानकारी नहीं दे पाते। इसका यह परिणाम होता है कि विद्यार्थी डिजिटल संसाधनों का लाभ नहीं ले पाते हैं।

समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने हेतु सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने के लिए सुझाव इस प्रकार हैं—

- समावेशी शिक्षा के विकास हेतु विद्यालय को ऐसा वातावरण विकसित करना चाहिए, जो विद्यार्थियों की विविधताओं के अनुकूल हो।
- विद्यार्थियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव एवं नकारात्मक दृष्टिकोण को हतोत्साहित करना; जिससे विद्यार्थी मिलकर एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें।
- विशेषकर दिव्यांग विद्यार्थियों को निरंतर विद्यालय भेजने के लिए माता-पिता या अभिभावकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे वे उत्साहित होकर बच्चों को निरंतर विद्यालय भेज सकें।
- बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का प्रयोग कर जैसे— संकेतों, मौखिक, श्रवण, लिखित और दृश्य और स्पर्श आदि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए।
- विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम को संशोधित कर कार्यान्वित करना चाहिए।
- कक्षा में सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए तथा ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- विद्यालय में संसाधन व्यक्तियों की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, जैसे— स्पीच थेरेपी विशेषज्ञ, व्यावसायिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, फिजियोथेरेपिस्ट आदि।
- समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापक को संवेदनशील होना अत्याआवश्यक है। संवेदनशील अध्यापक ही विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझ सकता है, जैसे— विद्यार्थियों की लिखने की धीमी गति, विद्यार्थियों पर ध्यान न दे पाना, भाषा को न समझ पाना आदि।
- विद्यालय में विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार उपकरणों, जैसे— श्रवण संबंधी उपकरण, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, माइक, लॉ विजन उपकरण आदि की उपलब्धता। *(नेशनल गाइडलाइन एंड इम्प्लिमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, 2023)*

निष्कर्ष

समावेशी शिक्षा में अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है ताकि सभी विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास हो सके और वे सशक्त बनकर भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। वर्तमान में समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु बहुत-सी नीतियाँ

लागू की गई हैं, परंतु फिर भी कहीं न कहीं हम कक्षा में विद्यार्थियों के बीच समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में असमर्थ रहे हैं। अध्यापक को सदैव ही अपने विद्यार्थियों के विकास और आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और वह सभी विद्यार्थियों को एक-समान समझे। विद्यार्थियों को कक्षा में भाग लेने का समान अवसर मिले। विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए। जिससे की समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिले और सभी विद्यार्थियों को एकसमान समझा जाए।

संदर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. 2020. *शिक्षा में समावेशन विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए संदर्शिका—2020*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

———. 2023. *नेशनल गाइडलाइन एंड इम्प्लिमेंटेशन फ्रेम वर्क ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन 2023*. वर्किंग कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स डी.ई.जी.एस.एन., रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.